न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई

मुकदमा नम्बर 89 / 2020
प्रकरण न्यायालय हाजा मे दर्ज प्रकरण 2024 / 20
निर्णय दिनांक 27.03.2026

उनवान

1. प्यारेलाल पुत्र लाला
2. रामफूल पुत्र लाला
3. रामधन पुत्र हरबक्श

समस्त जाति मीना निवासी ढिगारिया टप्पा कोलेश्वर तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

–वादीगण

बनाम

1. शिम्भू पुत्र हरबक्श जाति मीना निवासी ढिगारिया टप्पा कोलेश्वर तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
2. गुलाब पुत्र लाला पत्नी प्रेमचन्द मीना जाति मीना निवासी गढोरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
3. भागोती पुत्री लाला पत्नी नारायण मीना जाति मीना निवासी गण्डरावा तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. लक्ष्मा पुत्री लाला पत्नी चिरंजीलाल मीना जाति मीना निवासी गण्डरावा पाटीन की ढाणी तहसील सिकराय जिला दौसा।
5. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गुढलिया जरिये शाखा प्रबन्धक
6. एस.बी.बी.जे बैंक शाखा बांदीकुई जरिये शाखा प्रबन्धक(वर्तमान SBI बांदीकुई)
7. एस.बी.आई. बैंक शाखा राजगढ (अलवर) जरिये शाखा प्रबन्धक
8. तहसीलदार महोदय, तहसील बसवा जिला दौसा लैण्डहोल्डर तहसील बसवा ।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :– वादी अधिवक्ता नरेन्द्र प्रताप सिंह एडवोकेट, विनोद शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादी :– अधिवक्ता श्री गोपाल बन्धु एडवोकेट

दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 27.03.2026

वादी वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के न्यायालय मे पेश किया गया जो शीघ्र सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा मे

सहायक कलक्टर एवं
[illegible] मजिस्ट्रेट
[illegible] दौसा

स्थानान्तरित पेश हुआ जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:– भूमि कास्त आराजियात खतौनी सं. नई 163 पुरानी 163 के खसरा नं. 1087 रकबा 1.11 हैक्टे., ख.नं. 138 रकबा 0.12 हैक्टे. ख.नं. 139 रकबा 0.19 हैक्टे., ख.नं. 140 रकबा 0.19 हैक्टे., ख.नं. 141 रकबा 0.04 हैक्टे., ख.नं. 156 रकबा 0.06 हैक्टे., ख.नं. 162 रकबा 0.22 हैक्टे., ख.नं. 168 रकबा 0.43 हैक्टे. ख.नं. 16.9 रकबा 0.48 हैक्टे., ख.नं. 170 रकबा 0.17 हैक्टे., ख.नं. 218 रकबा 0.67 हैक्टे., ख.नं. 221 रकबा 0.73 हैक्टे., ख.नं. 222 रकबा 0.71 हैक्टे., ख.नं. 223 रकबा 0.58 हैक्टे., ख.नं. 224 रकबा 0.06 हैक्टे., ख.नं. 260 रकबा 2.57 हैक्टे., ख.नं. 265 रकबा 0.14 हैक्टे., ख.नं. 266 रकबा 0.24 हैक्टे., ख.नं. 268 रकबा 0.35 हैक्टे. ख.नं. 355 रकबा 0.07 हैक्टे., ख.नं. 358 रकबा 0.04 हैक्टे., ख.नं. 360 रकबा 0.19 हैक्टे., ख.नं. 361 रकबा 0.11 हैक्टे., ख.नं. 363 रकबा 0.12 हैक्टे. कुल खसरे 24 कुल रकबा 9.59 हैक्टे. ग्राम डिगारिया टप्पा कोलेश्वर तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 की संयुक्त कब्जे काश्त एव खातेदारी की भूमि है, जिसमे वादी संख्या 01 व 02 का प्रत्येक का 2/15 हिस्सा एवं वादी संख्या 03 का 1/3 हिस्सा जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकार्ड है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 ने वादी संख्या 01 व 02 को अपने हिस्से का हक त्याग कर दिया है एव कब्जा भी सभला दिया है दावे में प्रतिवादीगण संख्या 02 लगायत 04 के खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा गया है। अभी जमाबंदी में नाम दर्ज होने की वजह से पक्षकार बनाया गया है। भूमिवाद ग्रस्त आज दिनांक तक सरस–नरस तकासमा नही हुआ है। भूमि वादग्रस्त का एक्स प्रेस मे अवाप्त की गई को छोडकर शेष भूमि का रास्तो को ध्यान में रखते हुये तकासमा किया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 5 लगायत 8 बावजुद रजिस्टर नोटीस हाजीर नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण मे दिनांक 08.07.2022 को प्राथमिक डिक्री की जाकर प्रकरण मे तहसीलदार को फुर्रेजात भिजवाने हेतु आदेश दिये गये।

प्रकरण मे तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक भू.अ./2028/672 दिनांक 03.02.2028 को फुर्रेजात न्यायालय मे पेश किये गये।

जिस पर वादी प्यारेलाल द्वारा निम्न प्रकार आपत्ति पेश की गई। उनवानी दावा वादीगण ने तकासमा, स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसमें प्राथमिक डिक्री की जाकर आदेशित किया गया था कि खातेदारान के मध्य उनकी उपस्थिति मे सरस–नरस, वाका कब्जा काश्त रास्ते की सुविधा को ध्यान मे रखते हुऐ मौका विभाजन प्रस्ताव मय सुर्ख नक्सा ट्रेश तैयार कर भिजवाये। तहसीलदार महोदय बांदीकुई ने जो विभाजन प्रस्ताव (फुर्रेजात) बनाये है वह सरस–नरस के आधार पर नही बनाये है तथा प्रार्थी को सडक के लगते अधिक भूमि दी गई है। रामधन पुत्र हरबक्स, शिम्भू पुत्र हरबक्स को सडके के लगते दोनों तरफ भूमि दे दी गई है जो कि गलत है सरस नरस विभाजन प्रस्ताव तैयार नही किये गये है। प्रार्थी की सहमति के बिना फुर्रेजात तैयार किये गये है। प्रार्थी को सडक के लगते बहुत कम भूमि दी गई है और रामधन व शिम्भू को अवैध लाभ पहुचाया गया है। प्रार्थी की उपस्थिति में प्रकरण में पुन फर्रेजात के आदेश फरमाये।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा उक्त आपत्ति का जवाब पेश नही की बहस की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्राप्त फुर्रेजात को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा

53 तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 लगायत 21 अनुसार कुर्रेजात होना बताते हुये कुर्रेजात स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति कुर्रेजात को दोहराते हुये प्रकरण मे पुनः कुर्रेजात मंगवाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक भू.अ./2026/672 दिनांक 03.02.2026 के द्वारा पेश कुर्रेजात का अवलोकन किया गया। पेश कुर्रेजात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 लगायत 21 अनुसार तथा बरूये राजस्व रिकार्ड के तैयार किया जाना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात खारिज किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई के भू.अ./2026/672 दिनांक 03.02.2026 के द्वारा पेश कुर्रेजात स्वीकार किये जाते है वाद को कुर्रेजात अनुसार अंतीम डिक्री किया जाकर पक्षकारान का निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है–

क्र.स.	नाम मय पिता खातेदार	ख. न.	रकबा	किस्म
1.	प्यारेलाल पुत्र साला हिस्सा 1/2 जाति मीना सा. देह खातेदार रामफूल पुत्र साला हिस्सा 1/2 जाति मीना सा. देह खातेदार	169/1	0.0960	चा02
		170/1	0.09	चा02
		223	0.1216	चा03 जा03
		224	0.0323	गै.मु. रास्ता
		265	0.14	चा03 जा03
		266	0.24	चा03 जा03
		268	0.35	चा03 जा03
		360/1	0.02	चा01 जा01
		363	0.12	चा01 जा01
		260/1	0.43	चा01
		156	0.06	चा01
		162	0.22	चा01
	कुल किता व रकबा	12	1.9199	है.
2.	रामधन पुत्र हरबक्श जाति मीना हिस्सा 1/2(ख.न.1595/140, 1597/141, 218, 221, 222, 223, 224, 260, बिना रहन) भूमि बैंक ऑफ इंडिया शाखा पीपूपाड़ा खुर्द रिम्भू पुत्र हरबक्श हिस्सा 1/2	1595/140	0.435	चा02
		1597/141	0.0386	चा02
		168	0.43	चा02
		169/2	0.364	चा02
		170/2	0.06	चा02

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(कैम्प ...) बांदीकुई

	समस्त जाति मीना सा. देह खातेदार	218	0.6094	बा0A
		221	0.5255	चा03 जा03
		222	0.0838	चा03 जा03
		260/2	1.3327	बा01
		358	0.04	गै.मु. बाडा
		360/2	0.17	चा01 जा01
		381	0.11	चा01 जा01
	कुल किता व रकबा	12	3.8473	है.
3.	शामलाती खाता प्यारेलाल पुत्र लाला हिस्सा 1/6 रामधन पुत्र हरबक्स हिस्सा 1/3 रहिन युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पीपूपाडा खुर्द रामफूल पुत्र लाला हिस्सा 1/6 शिम्भू पुत्र हरबक्स हिस्सा 1/3 समस्त जाति मीना सा. देह खातेदार	1067	1.11	बा02
		355	0.07	गै.मु. बाडा
	कुल किता व रकबा	2	1.18	है.

तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक भू.अ./672 दिनांक 03.02.2026 के द्वारा पेश फर्दजात उक्त आदेश का भाग रहेगा। पक्षकारान की एनएचआई में अवाप्त भूमि को छोड़कर तहसीलदार बांदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे, जिन खातेदारो के द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपना हिस्सा को बैंक के रहन रखा हुआ है उस खातेदार के हिस्से में रहन दर्ज किया जावे। साथ ही पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हिस्से मे आयी भूमि पर दखल पैदा न करे। तहरीर एवं अंतीम पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 27.03.2026 को खुले न्यायालय मे निर्णय सुनाया गया।

[illegible]
[illegible]
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
बांदीकुई

अंतीम डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई मुकाम–बांदीकुई

जज इजलास रामसिंह राजावत आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

उनवान– प्यारेलाल बनाम रिम्पू वगै

दावा तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 89/2020 प्रकरण न्यायालय हाजा में दर्ज प्रकरण 2024/20

आदेश है कि वादी वाद दावा तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का भूमि काश्त आराजियात खातेनी सं. नई 163 पुरानी 163 के खसरा नं. 1087 रकबा 1.11 हैक्टे., ख.नं. 138 रकबा 0.12 हैक्टे, ख.नं. 139 रकबा 0.19 हैक्टे, ख.नं. 140 रकबा 0.19 हैक्टे., ख.नं. 141 रकबा 0.04 हैक्टे., ख.नं. 156 रकबा 0.06 हैक्टे., ख.नं. 162 रकबा 0.22 हैक्टे., ख.नं. 168 रकबा 0.43 हैक्टे. ख.नं. 169 रकबा 0.48 हैक्टे., ख.नं. 170 रकबा 0.17 हैक्टे., ख.नं. 218 रकबा 0.67 हैक्टे. ख.नं. 221 रकबा 0.73 हैक्टे, ख.नं. 222 रकबा 0.71 हैक्टे, ख.नं. 223 रकबा 0.58 हैक्टे, ख.नं. 224 रकबा 0.06 हैक्टे, ख.नं. 260 रकबा 2.57 हैक्टे, ख.नं. 265 रकबा 0.14 हैक्टे. ख.नं. 266 रकबा 0.24 हैक्टे. ख.नं. 268 रकबा 0.35 हैक्टे ख.नं. 355 रकबा 0.07 हैक्टे, ख.नं. 356 रकबा 0.04 हैक्टे. ख.नं. 360 रकबा 0.19 हैक्टे, ख.नं. 361 रकबा 0.11 हैक्टे, ख.नं. 363 रकबा 0.12 हैक्टे कुल खसरे 24 कुल रकबा 9.59 हैक्टे.ग्राम डिगारिया टप्पा कोलेश्वर तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा मे तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक भू.अ./672 दिनांक 03.02.2026 के द्वारा पेश कुर्रेजात स्वीकार किये जाते है। वाद को कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है कुर्रेजात अनुसार पक्षकारान का विभाजन किया जाता है कुर्रेजात निर्णय डिकी का भाग रहेगा। पक्षकारान की एनएचआई मे अवाप्त भूमि को छोडकर तहसीलदार बांदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद करे, जिन खातेदारो के द्वारा वादग्रस्त भूमि मे अपना हिस्सा बैक के रहन रखा हुआ है उन्ही खातेदारो के हिस्से मे रहन दर्ज किया जावे। साथ ही पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हिस्से मे आयी भूमि पर दखल पैदा न करे। तहरीर एवं अंतीम पर्चा डिकी जारी होकर प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निज मुवक्लिण बाबत् खर्चा इस मुकदमे के मय सूद मसरह_0 फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.. का अदा करे। बरावा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 03 सन् 2026 को जारी की गई।

27/3/26

(रामसिंह राजावत)
न्यायालय, आर.ए.एस. ;
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
बांदीकुई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प कोर्टफीस संकुल महनताना वकील खर्चा ख्वाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान	निल	निल	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा ख्वाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान	निल	निल

दस्तखत
27/3/26